न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—240/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/240)

1. प्रीतम सिंह उर्फ पप्पूसिंह पुत्र गोरधन सिंह
2. सावर सिंह उर्फ श्याम सिंह पुत्र गोरधन सिंह
3. सोहनी पत्नी गोरधन सिंह
4. मैना पुत्री गोरधन सिंह
5. मंजू पुत्री गोरधन सिंह
6. संतोष सिंह पत्नी देपालसिंह
7. गणपत पुत्र देपालसिंह
8. अंजू पुत्री देपालसिंह
9. लक्ष्मी पत्नी सम्पत सिंह
10. नीतू पुत्री सम्पत सिंह
11. उगम सिंह पुत्र किशना
12. बलवीर सिंह पुत्र लाडू

समस्त जाति रावत, निवासीगण—ग्राम दौलतगढ सिंघा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. मंजू पत्नी जगदीश जाति जाट, निवासी गोपालपुरा, तहसील भिनाय जिला अजमेर।
2. लाला पुत्र बादर
3. नैना पुत्र बादर,
4. नरेन्द्र पुत्र घीसू
5. हनुमान पुत्र घीसू
6. सुरेश पुत्र घीसू
7. भगवती पत्नी घीसू
8. मिठूसिंह पुत्र रामा उर्फ रामसिंह
9. श्रीमती फूली बेवा रामा उर्फ रामसिंह,

समस्त जाति रावत, निवासीगण—ग्राम दौलतगढ सिंघा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

10. श्रीमती जमना पुत्री रामा उर्फ रामसिंह पत्नी खीमसिंह जाति रावत निवासी ग्राम रायताखेडा तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।
11. श्रीमती पांची पुत्री रामा उर्फ रामसिंह पत्नी मदनसिंह जाति रावत निवासी ग्राम दादावाडी तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
12. श्रीमती मैना पुत्री रामा उर्फ रामसिंह पत्नी रमेशसिंह जाति रावत निवासी— मोतीपुरा बाडिया देलवाडा रोड तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

13. श्रीमती सुगना पुत्री रामा उर्फ रामसिंह पत्नी बाबूसिंह जाति रावत निवासी गढी थोरियान तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
14. श्रीमती यशोदा बेवा जीवणसिंह पुत्र रामा उर्फ रामसिंह
15. प्रतापसिंह पुत्र जीवणसिंह पुत्र रामा उर्फ रामसिंह
समस्त जाति रावत निवासीगण–ग्राम दौलतगढ सिंघा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।
16. श्रीमती मंजू पुत्री जीवण सिंह पत्नी महेन्द्रसिंह, जाति रावत निवासी–नून्दरी मेन्द्रातान, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
17. उगम सिंह पुत्र भंवरू
18. गणेश पुत्र भंवरू
समस्त जाति रावत, निवासीगण–ग्राम दौलतगढ सिंघा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
19. मोहम्मद जहूर पुत्र मोहम्मद सुलेमान,
20. मकबूल खां पुत्र मोहम्मद सुलेमान,
21. श्रीमती हुरमत बेवा मोहम्मद सुलेमान
22. अहमद खान पुत्र अब्दुल हमीद,
23. जुबेदा पुत्री अब्दुल हमीद
24. फिरोजा पुत्री अब्दुल हमीद
25. मोहम्मद यासिन पुत्र अब्दुल हमीद
26. मोहम्मद रमजान पुत्र अब्दुल हमीद
27. मोहम्मद खान पुत्र अब्दुल हमीद
28. रूखसाना पुत्री अब्दुल हमीद
29. शब्बीर खान पुत्र अब्दुल हमीद
30. शमशाद पुत्री अब्दुल हमीद
31. शहनाज पुत्री अब्दुल हमीद
समस्त जाति मुसलमान, निवासीगण–मिश्रीपुरिया, दौलतगढ सिंघा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
32. रामदेव पुत्र प्रभू
33. रामेश्वर पुत्र प्रभू
34. जगदीश पुत्र प्रभू
समस्त जाति जाट निवासीगण–मिश्रीपुरिया, दौलतगढ सिंघा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
35. श्रीमती भंवरी पुत्री प्रभू पत्नी सूरजमल जाति जाट निवासी देवास जिला अजमेर।
36. श्रीमती संतोष पुत्री प्रभू पत्नी देपालसिंह जाति जाट निवासी मकरेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
37. श्रीमती ऐजन पुत्री प्रभू पत्नी बालाजी, जाति जाट निवासी बुधवाडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
38. छोटू पुत्र नैनू
39. रामकरण पुत्र नैनू
समस्त जाति जाट निवासीगण–देलवाडा रोड तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
40. नाथू पुत्र चीमा
41. रामदीन पुत्र चीमा
42. जितेन्द्र पुत्र गोपीलाल
43. नरेन्द्र पुत्र गोपीलाल
44. मनभर देवी पत्नी गोपीलाल
45. बीजू पुत्र चीमा
46. भरत पुत्र मोहनलाल
समस्त जाति रेगर निवासीगण–देलवाडा रोड तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

47. करण सिंह पुत्र छोटू
48. नैनी पुत्री छोटू
49. श्रवण पुत्र छोटू
50. हुकमसिंह पुत्र छोटू
51. हेमराज पुत्र छोटू
52. डाली पत्नी छोटू
53. गोपालसिंह पुत्र हनुमान
54. गीता पुत्री हनुमान
55. माया पुत्री हनुमान
56. कंचन पुत्री हनुमान
57. तेजसिंह पुत्र किशना, मृतक जरिए विधिक वारिसान–
    57/1 शैतान पुत्र तेजसिंह
    57/2 बलवीर पुत्र तेजसिंह
    57/3 घीसी पत्नी तेजसिंह
    57/4 निरमा पुत्री तेजसिंह
    57/5 ललिता पुत्री तेजसिंह
    57/6 पूजा पुत्री तेजसिंह
    57/7 लक्ष्मी पुत्री तेजसिंह
    57/8 सुनीता पुत्री तेजसिंह
    57/9 कंचन पुत्र तेजसिंह
58. सुखी पुत्री किशना,
59. हेमा पत्नी किशना
60. हीरा पुत्र जालाल
61. देवीसिंह पुत्र लाडू
62. परमेश्वर सिंह पुत्र लाडू
63. श्रीमती चम्पा बेवा नैना
64. लक्ष्मी पुत्री नैना

    समस्त जाति रावत निवासीगण–दौलतगढ सिंघा तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

65. छत्रेश पुत्र मोहनलाल
66. अनिल पुत्र मोहनलाल

    समस्त जाति रेगर निवासीगण देलवाडा रोड तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

67. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार,तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर ब्यावर,जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 60/2006

उपस्थितः–

1. श्री शंकरलाल चौधरी अभिभाषक अपीलांटस.
2. श्री अरविंद शर्मा रेस्पोडेंट संख्या 57/1 से 57/9.
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 56, 58 से 66 अनुपस्थित.
4. श्री विकास पराशर राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 67 .

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांकः–17.10.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 60/2006 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 ने वर्तमान अपीलांटस व शेष रेस्पोडेंटस के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दौलतगढ सिंघा तहसील ब्यावर में आराजी खाता संख्या 45 के खसरा नम्बर 295 रकबा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी व खसरा नम्बर 304 रकबा 118 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 118 बीघा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि स्थित है। वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त वादग्रस्त आराजी का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। इसलिए पक्षकारों के मध्य आए दिन विवाद होते रहते है। इसलिए उक्त वाद–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया तथा अंत में वादीया ने वाद पत्र स्वीकार कर डिक्री किए जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया तत्पश्चात कुछ प्रतिवादीगणों ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया,परंतु उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने दावे व जवाब दावे के आधार बिना तनकीयात कायम किए एवं बिना सभी प्रतिवदीगणों की विधिवत तामिल करवा कर उनकों साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना आनन फानन में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एंव साक्ष्यों को नजरअंदाज करते हुए निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.6.2018 पारित कर वादीया का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 60/2006 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 56 व 58 से 66 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 22.6.2018 की पूर्व में जानकारी नहीं थी। क्योंकि उक्त निर्णय राजस्व लोक अदालत केम्प में बिना प्रार्थीगण को सूचना दिए ही कर दिया गया था इस कारण प्रार्थीगण को उक्त निर्णय व डिकी की पूर्व में जानकारी नहीं थी, तथा प्रार्थीगण की ओर से नियुक्त उनके अधिवक्ता ने भी प्रार्थीगण को यह आश्वासन दे रखा था कि उन्हे हर तारीख पेशी पर न्यायालय आने की आवश्यकता नहीं है जब आपकी आवश्यकता होगी तो आपकों सूचना देकर बिलावा लेंगें और उसके बाद वर्ष दो वर्ष तक कोरोना महामारी के कारण लॉक डाउन होने व न्यायालयों का कार्य भी स्थगित रहने और समय–समय पर राज्य व केंद्र सरकार द्वारा गाईड–लाईन के कारण भी प्रार्थीगण न्यायालय आकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सके थे। प्रार्थीगण को उक्त निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम तब हुई जब विपक्षीगण ने दिनांक 07.07.2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

को प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी आराजी के कब्जे काश्त एवं पक्के मकान से बेदखल करने का प्रयास किया तो प्रार्थीगण ने इसकी शिकायत बावत एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 8.7.2022 पुलिस थाना, तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी को दिया। विपक्षीगण ने वहां पर उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 22.6.2018 की प्रति प्रस्तुत कर बताया कि हमारे पक्ष में यह निर्णय पारित किया गया है और उक्त निर्णय की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद भी हो चुका है। जिसके बाद प्रार्थीगण ने न्यायालय जाकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उनके अधिवक्ता ने प्रार्थीगण को बताया कि आपके मुकदमे का निर्णय तो दिनांक 22.6.2018 को ही हो चुका है, परंतु आपके द्वारा दिए गए फोन नम्बर मिस हो जाने के कारण आपको सूचना नहीं दे सका था और यह भी विधिक सलाह दी कि अब उक्त निर्णय दिनांक 22.6.2018 की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष करनी होगी तत्पश्चात दिनांक 22.6.2018 की प्रमाणित नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर प्रमाणित नकल दिनांक 12.8.2022 को प्राप्त हुई तत्पश्चात प्रार्थीगण आज दिनांक को अजमेर आकर अपने वकील साहब से अपील तैयार करवाकर बिना विलंब के आज पेश करवा रहे है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट व रेस्पोडेंटस के मध्य उनके पूर्वजों के समय से ही मौके पर बाहमी बंटवारा हो रखा था, तथा उसी अनुसार सभी पक्षकार अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त होकर निर्बाध रूप से काश्त करते चले आ रहे है। अपीलांटस ने भी अपने हिस्से की भूमि को मेहनत करके उपजाऊ बनाया और कृषि ऊपज की सुरक्षा हेतु निर्मित पक्के मकान बाडे आदि का निर्माण भी करवाया। अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध समस्त विधिक दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए एवं विधि में प्रावधित प्रावधानों नियम 18 से 21 की पूर्णतया पालना करते हुए सभी पक्षकारों के कब्जे काश्त व उनके पक्के मकान बाड़े आदि को उन्ही के हिस्से में रखते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय वर्तमान अपीलांटस के कब्जे काश्त व उनके हिस्से की आराजी पर कृषि ऊपज की सुरक्षा हेतु बनाए गए निर्मित पक्के मकान व बाड़े आदि को अन्य पक्षकारों के हिस्से में दे दिया और उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में भी तरमीम कर दी गई। अब विपक्षीगण उक्त निर्णय व डिक्री की आड में अपीलांटस को उनकी कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी व मकान बाडे आदि से बेदखल करने पर आमादा है। यदि वर्तमान अपीलांट की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव बनाया जाता और वर्तमान अपीलांटस को भी विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता तो वह न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्यों को अवगत करातें। जब उनके समक्ष प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा दिनांक 13.12.2006 को प्रस्तुत किया जा चुका था, तो दावे ओर जवाब दावे के आधार पर तनकीयां कायम की जाकर तनकीवार निर्णय पारित करने का आज्ञापक प्रावधान है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को आदेश 20 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रावधित प्रावधानों के अनुसरण में दावे और जवाब दावे के आधार पर तनकीयां कायम कर तनकीवाईज निर्णय पारित करना चाहिए था। उसके बाद पत्रावली साक्ष्य की स्टेज में आती तो अपीलांटस अपनी साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत करके अपने पक्ष को साबित करता परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तनकीयात कायम किए तथा बिना अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए उक्त विधिक प्रावधानों की अवहेलना एवं न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए विवादित निर्णय व

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

डिक्री दिनांक 22.6.2018 पारित करने में भारी विधिक त्रुटि कारित की है। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.6.2018 को पारित करते समय उनके द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 7.8.2007 पारित कर तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट बनाने हेतु आदेश प्रदान किए और उक्त आदेश की पालना में दिनांक 9.5.2018 को भू0अभिलेख निरीक्षक ने पटवारी हल्का के साथ मिलकर बिना मौके पर गए तहसील कार्यालय में ही मनमाने तरीके से बिना अपीलांटस व अन्य पक्षकारों को सूचना दिए एवं अपीलांटस की अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार को प्रस्तुत कर दी और तहसीलदार ने उक्त विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के-समक्ष प्रस्तुत कर दिया जबकि नियम 18 से 21 में प्रावधित आज्ञापक प्रावधानों के अनुसरण मे विभाजन स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर उभय पक्षों की उपस्थिति में तैयार की जानी चाहिए थी। जैसा कि विधिक दृष्टांत आरआरटी 2017 वो0 1 पेज 610, आर बी जे 2017 पेज 29, आरआरटी 2017 वो0 1 पेज 347, आरआरटी 2015 वो0 2 पेज 817, आरआरटी 2011–12 सप्ली0 पेज 698, आरआरटी 2014 वो0 1 पेज 258 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर तैयार किया जाएगा एवं विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व सभी पक्षकारों को नोटिस दिया जाना और उनकी उपस्थिति में ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए तथा तहसीलदार इसे डेलीगेट भी नहीं कर सकता है। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर,ब्यावर द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.6.2018 को पारित करते समय यह नजरअंदाज किया कि उनके समक्ष प्रस्तुत दावा वादग्रस्त आराजी रकबा 108 बीघा का सहखातेदारों में विधिवत विभाजन बाबत प्रस्तुत किया गया था, परंतु उन्होंने वादग्रस्त आराजी रकबा 118 बीघा की जगह केवल 101 बीघा 14 बिस्वा आराजी का ही विभाजन किए जाने हेतु निर्णय व डिक्री पारित की थी। जबकि उन्हें वाद–पत्र में अंकित समस्त आराजी का बाबत वाद पत्र को स्वीकार करना चाहिए था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त विधिक तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए विवादित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.6.2018 पारित कर दिया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 60/2006 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2018 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं– 2017 आरबीजे पेज 299, 2014 आरआरटी वो0 1 पेज 258, 2011–12 सपप0 पेज 698, 2017 आरआरटी वो0 1 पेज 610, आरबीजे1999 पेज 221, आरबीजे 1997 पेज 611, आरआरटी 2013(2) पेज 878, आरआरटी 2002(1) पेज 648, आरआरटी 2017 (2) 1104.

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 57/1 से 57/9 ने बहस में कथन किया कि अपीलांटस अभिभाषक द्वारा की गई बहस का हम समर्थन करते है।

7. हमनें उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के अनुसार उसे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 22.6.2018 की जानकारी नहीं थी क्योंकि उक्त निर्णय लोक अदालत केम्प में बिना प्रार्थी को सूचना दिए किया गया था साथ ही उसके अभिभाषक ने भी उसे आश्वस्त किया हुआ था की वह जानकारी देंगे। उसके पश्चात दो वर्ष तक कोरोना महामारी का समय रहा दिनांक 7.7.2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

को जब विपक्षीगण के द्वारा उसे अपने कब्जे काश्त की भूमि को पक्के मकान से बेदखल करने का प्रयास किया तो उसके द्वारा एक शिकायती प्रार्थना–पत्र दिनांक 8.7.2022 को पुलिस थाना, तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी को दिया इस पर रेस्पोडेंट के द्वारा वहां पर निर्णय व डिक्री दिनांक 22.6.2018 की प्रति को प्रस्तुत कर बताया कि हमारे पक्ष में निर्णय हुआ है और राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद भी हो चुका है इसके बाद अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर दिनांक 22.6.2018 के निर्णय की नकल हेतु दिनांक 10.8.2022 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया नकल दिनांक 12.8.2022 को प्राप्त हुई उसके बाद अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील प्रस्तुत की गई है, देरी को क्षमा किया जावे।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया न्यायालय हाजा में उक्त अपील दिनांक 22.8.2022 को अपील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत करना पाया जाता है। निर्णय दिनांक 22.6.2018 को लोकअदालत केम्प में सिर्फ प्रतिवादी संख्या 1 व तहसीलदार ब्यावर को उपस्थित होना अंकित किया हैं। धारा 5 पर वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया जो निम्नानुसार है– मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलब माफ कर देना चाहिए।(धारा 5 मियाद अधिनियम हेतु)–

1. आरआरटी 2013 वो0 2 एससी पेज 878
2. आआरटी 2002(1)हाई कोर्ट पेज 648
3. आरआरटी 2017 (2) पेज 1104 (आर0बी0)

8. अपील मिमो के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमों की पालना नहीं करते हुए निर्णय दिया है अपील में मेरिट है साथ ही निर्णय की जानकारी अपीलांट को नहीं थी, वकील अंपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से न्यायालय पूरी तरह सहमत हैं। जानकारी दिनांक 12.8.2022 (निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की दिनांक) से अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 ने वर्तमान अपीलांटस व शेष रेस्पोडेंटस के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत किया। ग्राम दौलतगढ सिंघा तहसील ब्यावर में आराजी खाता संख्या 45 के खसरा नम्बर 295 रकबा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी व खसरा नम्बर 304 रकबा 118 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 118 बीघा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि स्थित है। वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त वादग्रस्त आराजी का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। इसलिए पक्षकारों के मध्य आए दिन विवाद होते रहते है। इसलिए उक्त वादपत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस जारी किये गये। दिनांक 18.10.2006 को प्रतिवादी संख्या 02, 3, 16,17,19,21, 29,31,35,36,44, 45,46,48,52, 59 की ओर से श्री नजीर मौहम्मद एड़वोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 30.11.2006 को प्रतिवादी संख्या 01, 04, 05, 06,12,14,15,18,20,24,25,27,50,51,54,55,57,58 की ओर से भी श्री नजीर मौहम्मद एड़वोकेट ने वकालतनामा पेश किया, जवाब हेतु अवसर चाहा। दिनांक 13.12.2006 को प्रतिवादी संख्या 22, 26,30, 32, 33 की ओर से श्री नजीर मौहम्मद एड़वोकेट ने अण्डरटेंकिगं दी तथा जवाब दावा पेश किया। तत्पश्चात् पत्रावली वास्ते नोटिस तलबी हेतु नियत रही तथा दिनांक 11.06.2007 को प्रतिवादी संख्या 56 की ओर से भी श्री नजीर मौहम्मद एड़वोकेट ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 07.08.2007 को सुलहनामा के आधार पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

प्रारंभिक डिक्री पारित की गई, पत्रावली वास्ते बंटवारा प्रस्ताव हेतु नियत कर आगामी पेशी दिनांक 05.09.2007 नियत की गई, तत्पश्चात पत्रावली वास्ते इन्तजार पालना रिपोर्ट में रखी गयी। दिनांक 16.02.2015 को तहसीलदार, ब्यावर ने अपनी रिपोर्ट में कथन किया कि खसरा नम्बर 304 का रकबा जमाबंदी व मौका अनुसार मौके पर 16-06-00 भूमि कम है, पत्रावली वास्ते 09.3.2015 नियत की गई। दिनांक 9.03.202015 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से आगामी पेशी दिनांक 30.03.2015 नियत की गई। दिनांक 30.03.2015 को अभिभाषकगण को सुना गया। जिन्होने कथन किया कि भूमि मौके पर शेष बची है उसी का बंटवारा प्रस्ताव बनाकर भिजवाने पर दोनो की सहमति के हस्ताक्षर करवाए गए पत्रावली तहसीलदार, ब्यावर को तहरीर जारी कर पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 06.05.2015 नियत की गई। दिनांक 27.05.2015 को तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ तथा पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई। दिनांक 01.09.2015 को उभयपक्ष अधिवक्ता ने मौके पर वर्तमान मौजूद भूमि का आनुपातिक रूप से बंटवारा प्रस्ताव किये जाने का निवेदन किया तथा तहसीलदार, ब्यावर को शेष भूमि का बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने बाबत् जाने का निवेदन किये जाने पर पत्रावली वास्ते इन्तजार बंटवारा प्रस्ताव हेतु दिनांक 14.10.2015 नियत की गई तत्पश्चात कई तारीख पेशियों मे इन्तजार बंटवारा प्रस्ताव हेतु नियत रखी गयी। दिनांक 23.05.2018 को आगामी पेशी दिनांक 22.06.2018 नियत की गई। दिनांक 22.06.2018 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प कोर्ट मु. ब्यावर पर पेश की गई। तहसीलदार, ब्यावर ने बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी संख्या 01 स्वयं एवं तहसीलदार ब्यावर उपस्थित हुए तथा उपस्थित पक्षकारान ने बंटवारा प्रस्ताव अनुसार निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद अवलोकन वादिया का वाद बंटवारा प्रस्ताव अनुसार आंशिक स्वीकार किया पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किये जाने के आदेश दिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2018 पारित कर वादीया का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाब दावे के आधार पर निर्णय पारित करते समय आदेश 20 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रावधानों के आधार पर तनकीया कायम कर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया। अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना उक्त निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि में प्रावधित प्रावधानों नियम 18 से 21 की पूर्णतया पालना करते हुए सभी पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव बनाया जाता और वर्तमान अपीलांटस को भी विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता तो वह न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्ति पेश कर सकते थे तहसीलदार द्वारा बिना अपीलांटस व अन्य पक्षकारों को सूचना दिए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो नियम 18 से 21 के नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर तैयार किया जाएगा एवं विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व सभी पक्षकारों को नोटिस दिया जाना और उनकी उपस्थिति में ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए था जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया। उक्त निर्णय राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प कोर्ट में निर्णित किया गया है जिसके तहत उन्हीं प्रकरणों को निर्णीत किया जा सकता है जिस प्रकरण में सभी पक्षकारों के मध्य राजीनामा/सहमती हो। परंतु उक्त प्रकरण में पक्षकारों के मध्य कोई सहमती अथवा केम्प में उपस्थिति बाबत पत्रावली पर कोई हस्ताक्षर नहीं है। उक्त प्रकरण में सुलहनामा दिनांक 07.08.2007 के आधार पर प्राथमिक डिक्री 07.

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

08.2007 पारित की गई। जबकि उक्त सुलहनामा जरिए अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया, जबकि सुलहनामा सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर करके व पक्षकारों द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सुलहनामे के आधार पर निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2018 पारित कर किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दौराने वाद के विचाराधीन रहते दो प्रतिवादीगण की मृत्यु हो चुकी थी परन्तु उनके कायममुकाम की कार्यवाही किये बिना मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं होने से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होने व उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2018 निरस्त किया जाता है।

10. अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 60/2006 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2018 को निरस्त किया जाता हैं तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे प्रकरण से संबंधित सभी पक्षकारों की विधिवत तामील करवाकर उभयपक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिक प्रावधानों के अनुसरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

17/10/2024

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 17.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner